



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102022-239355
CG-DL-E-06102022-239355

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4458]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 3, 2022/आश्विन 11, 1944

No. 4458]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 3, 2022/ASVINA 11, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4666(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट No Yet to be Assigned के किमी. 306.600 किमी. से 344.400 किमी. तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-No Yet to be Assigned तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	कंपोटेंट अथारिटी ओफ लैंड एक्विजिशन & सब डिविजनल	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या No Yet to	महाराष्ट्र	बीड	अष्टि	1 पुंडी

	आफिसर, पटोडा ()	be Assigned के कि.मी. 306.6 से 344.4 तक			
--	---------------------	---	--	--	--

[फा. सं. NHAI/Ahmednagar/ASA/LA/2022]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd October, 2022

S.O. 4666(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from

Km. 306.600 to Km. 344.400 of the Ahmednagar-Solapur-Akkalkot for building (widening/Six-laning, etc.), maintenance, management, and operation in the State of MAHARASHTRA.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. Yet to be Assigned in the State of MAHARASHTRA.**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Competent Authority of Land Acquisition & Sub Divisional Officer, Patoda ()	306.6KM To 344.4KM	MAHARASHTRA	BEED	Ashti	1 Pundi

[F. No. NHAI/Ahmednagar/ASA/LA/2022]

RAJESH GUPTA, Director